

14/09/2015 20:08

(ख). प्रतिपूरक के लिए उचित निर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र-

(ग). रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि।

(घ). प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय:-

(ङ). प्रतिपूरक के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र(संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किए जाये):-

11. जिला उप-वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उर्पयुक्त कालम-7,(ट,ठ) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए(संलग्न करें):-

12. विभाग/जिला प्रोफाइल:-

(क). जिले का भौगोलिक क्षेत्र:-

(ख). जिले का वन क्षेत्र:-

(ग). मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र:-

(घ). 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण:-

(ङ). दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन-भूमि:-

(च). वनेतर भूमि पर:-

(छ). प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।

(क). वन भूमि पर:-

(ख). वनेतर भूमि पर:-

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबन्ध में उप-वन संरक्षक की विशेष सिफारिश:-

संलग्न संख्या:- 19

संलग्न संख्या:- 20

संलग्न संख्या:- 20

संलग्न संख्या:- 21

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न संख्या:- 08

वन विभाग, बरेली।

4120 वर्ग किमी०।

225.97 हेक्टर।

21 मामले।

116.48 हेक्टर।

-

-

44.83 हेक्टर।

विकास कार्य हेतु रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग एवं उनके मध्य डी आकार क्षेत्र कुल क्षेत्रफल 0.0678 हेक्टर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना कोई वृक्ष पातन के संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 15/01/2015

स्थान:- बरेली।

(धर्म सिंह)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

(3)

(धर्म सिंह)

उप प्रभागीय वन अधिकारी (बरेली)

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली

वन क्षेत्रीय अधिकारी  
आंबला रोड, पालवल